



**हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड, भिवानी**  
**Board of School Education Haryana, Bhiwani**  
(Established Under Haryana Board of Education Act, 1969)

विषय:-सैकेण्डरी/सैकेण्डरी-सह-पूर्व मध्यमा तथा सीनियर सैकेण्डरी/सीनियर सैकेण्डरी-सह-उत्तर मध्यमा द्वितीय वार्षिक परीक्षा के लिए ऑन-लाईन आवेदन के दौरान बोर्ड कार्यालय में प्राप्त डबल फीस रिफण्ड करने बारे।

उपरोक्त विषय के संदर्भ में निर्देशित किया जाता है कि सैकेण्डरी/सैकेण्डरी-सह-पूर्व मध्यमा तथा सीनियर सैकेण्डरी/सीनियर सैकेण्डरी-सह-उत्तर मध्यमा द्वितीय वार्षिक परीक्षा हेतु जिस परीक्षार्थी का ऑन-लाईन आवेदन में तकनीकी कारणों से एक ही परीक्षा हेतु दो बार शुल्क समायोजन हो जाता है तो, ऐसे परीक्षार्थी की डबल फीस रिफण्ड हेतु प्रार्थना-पत्र ऑन-लाईन आवेदन की अन्तिम तिथि समाप्त होने के बाद डबल फीस (Excess Fee) जमा होने के साक्ष्यों (Benefeciary Name, Account No., IFSC Code, Branch आदि दर्शाते हुए) सहित दो मास (60 दिन) के समयबद्ध समय तक ही सैकेण्डरी की [assec@bseh.org.in](mailto:assec@bseh.org.in) सीनियर सैकेण्डरी की [assrs@bseh.org.in](mailto:assrs@bseh.org.in) ई0मेल आई0डी0 पर या दस्ती कार्यालय में भेज सकते हैं। इसके उपरान्त डबल फीस (Excess Fee) रिफण्ड करने हेतु दिए गए किसी भी प्रार्थना-पत्र पर कोई विचार नहीं किया जाएगा, जिसके लिए परीक्षार्थी स्वयं जिम्मेवार होंगे।

डबल फीस (Excess Fee) रिफण्ड हेतु भेजी जाने वाली सूचना का फॉर्मेट निम्न प्रकार से है:-

Student Roll NO..... Student Name.....  
Father Name ..... Email ID.....  
Mob No..... Refundable Amount.....  
Benefeciary A/C No..... Benefeciary Name .....  
Bank Name & Place..... IFSC Code.....

प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त फॉर्मेट अनुसार दिए गए विवरण सही है यदि कोई विवरण गलत होगा तो इसका मैं स्वयं जिम्मेवार रहूँगा।

हस्ताक्षर.....

तिथि.....

परीक्षार्थी का नाम.....

पता.....

.....